



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3 Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 530]  
No. 530]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2005/ज्येष्ठ 6, 1927  
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2005/JYAISTHA 6, 1927

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 27 मई, 2005

New Delhi, the 27th May, 2005

**का.आ. 730 (अ).**—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 29(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेशक (स्मारक), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ऐसे संबंधित व्यक्ति (व्यक्तियों)/पक्ष (पक्षों)/अभिकरण (अभिकरणों) को जारी किए जाने वाले नोटिसों पर हस्ताक्षर करने के लिए एतद्वारा प्रत्यायोजित करती है जो प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 19 और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 के नियम 38 (1) का उल्लंघन करते हुए केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के निषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर कोई खनन कार्य/अवैध/अनधिकृत निर्माण कर रहे हैं।

**S.O. 730 (E).**—In exercise of the powers conferred under Section 29(a) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 the Central Government hereby delegates his power to Director (Monuments) of the Archaeological Survey of India to sign the notices to be issued to the person(s)/party(ies)/agency(ies) concerned who are undertaking any mining operations/illegal/unauthorized constructions within the prohibited/regulated area of the centrally protected monuments in violation of Section 19 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 and Rule 38(1) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959.

[फा. सं. 25/12/2004-एम]

[F. No. 25/12/2004-M]

नीना रंजन, सचिव

NEENA RANJAN, Secy.